न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 21/2020 जी.सी.एम.एस. : 2020/00280
राजस्व अपील : 22/2020 जी.सी.एम.एस. : 2020/00281
राजस्व अपील : 24/2020 जी.सी.एम.एस. : 2020/00283

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
पूरणसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावत उम्र 73 वर्ष निवासी ग्राम खोडिया उप तहसील बगड़ी, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिये तहसीलदार सोजत 2. नायब (उप) तहसीलदार बगड़ी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र मेहता
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16/03/21

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने उक्त तीनों अपीले अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार बगड़ी तहसील सोजत के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 821/2019 सरकार बनाम पूरणसिंह में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019, प्रकरण संख्या 02/2020 सरकार बनाम पूरणसिंह में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2020 एवं प्रकरण संख्या 52/2020 सरकार बनाम पूरणसिंह में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2020 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। प्रथम दो अपीले म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश की, जिन्हें सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई तथा तृतीय अपील अन्दर म्याद पेश करने से दर्ज की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा तीनों अपीलों को समेकित करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। चूंकि तीनों अपीलों में पक्षकार समान है तथा एक ही आराजी के संबंध में पेश की गई है, अतः तीनों अपीलों को समेकित की गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खोडिया उप तहसील बगड़ी तहसील सोजत के खसरा नम्बर 822 गैर मुमकिन भाखर स्थित है। जिसमें रियासत के समय से आबादी बसी है। जिसमें आबादी के लगभग 100 मकान व पशुओं के लिये कई बाड़े बने हुए है तथा 300–350 लोग बसे है। उक्त खसरे में कई मकान, दुकाने एवं डामरीकृत रोड़ अवस्थित है। उक्त खसरे के कुछ भाग पर अपीलाण्ट लगभग 25 वर्षो

अति. जिला कलेक्टर, पाली

से केलुपोश का मकान बनाकर रहवास करता आ रहा है। साल भर पहले केलुपोश का मकान टूट जाने से अपीलाण्ट ने पुनः ईटों के ब्लॉकों से पुनः मकान बनाया है। कुछ लोगो द्वारा राजनैतिक विद्वेश की वजह से हल्का पटवारी से टी.पी. कार्यवाही कर अपीलाण्ट के विरूद्ध लगातार राजस्थान भू राजस्व अभिलेख अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए। अपीलाण्ट के विरूद्ध बिना उसे सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान किए, बिना विधिक कार्यवाही अपनाते हुए तीन माह के कठोर सिविल कारावास जैसा दण्ड दिया गया है। अपीलाण्ट ने मातहत अदालत के आदेश की पालना करते हुए जैर अपील आराजी पर से अपना कब्जा स्वयं ही हटा दिया है तथा इस आशय का अपीलाण्ट ने एक शपथ पत्र भी पेश किया तथा इस संबंध में पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट से कब्जा प्राप्त करने बाबत मौका फर्द भी बनाई जाकर तहसीलदार सोजत के समक्ष पेश कर दी गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर तीन माह के सिविल कारावास की सजा को अपास्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त 2013(1) DNJ (Raj.) page 233, RRD Sept. 2002 page 536 and RRD Nov. 2002 page 668 पेश किए।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर लगभग 25 वर्षो से कब्जा है तथा उक्त आराजी पर उसने ईटो का मकान भी बना रखा है। जो उसके द्वारा अपील स्वयं स्वीकार किया गया है। इसके पश्चात उसके विरूद्ध पूर्व में दो बार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही की गई तथा कब्जा राज लिया गया। फिर भी अपीलाण्ट द्वारा तीसरी बार पुनः जैर अपील आराजी पर कब्जा करने पर उसे भौतिक रूप से बेदखल करने के साथ ही तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। वह विधि सम्मत है। अब अपीलाण्ट सजा से बचने के लिए उक्त भूमि पर से अपना कब्जा हटाने बाबत शपथ पत्र पेश किया है, लेकिन इससे उसके द्वारा कारित कृत्य को माफ नहीं किया जा सकता है। चूंकि अपीलाण्ट एक आदतन अतिक्रमी है, अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान आद्योपान्त परिशीलन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा तीनों अपीलें अपीलाण्ट की ओर से न्यायालय में पेश की है, जिनमें अपीलाण्ट द्वारा तीनों बार एक ही आराजी ग्राम खोडिया के खसरा नम्बर 822 रकबा 0.04 हैक्टेयर पर अतिक्रमण करने से उसके विरूद्ध नायब तहसीलदार बगड़ी द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध पेश की गई है। इस संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील संख्या 22/2020 एंव 24/2020 को अपील संख्या 21/2020 के साथ समेकित करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। तीनों अपीलों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तीनों ही अपीलों में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट समान है तथा एक ही आराजी से संबंधित होने के कारण से तीनों अपीलों को समेकित किया जाकर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पटवारी हल्का खोडिया द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध खसरा नम्बर 822 रकबा 0.08 है. किस्म गै.मु. भाकर की भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा वाड़ा बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किए जाने से टी.पी. रिपोर्ट नायब तहसीलदार बगड़ी के समक्ष पेश की, जिस पर नायब तहसीलदार बगड़ी ने दिनांक 07.10.2019 को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए दिनांक 18.11.2019 को अपीलाण्ट के विरूद्ध भौतिक रूप से बेदखली के आदेश पारित किए गए। इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा पुनः जैर अपील आराजी पर 5 बाई 5 में सीमेंट की ईटे एवं चद्दर रखकर कच्चा निर्माण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 06.08.2020 को टी. पी. रिपोर्ट नायब तहसीलदार बगड़ी के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर नायब तहसीलदार बगड़ी ने दिनांक 11.06.2020 को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए दिनांक 15.06.2020 को पुनः जैर अपील आराजी से अपीलाण्ट के विरूद्ध भौतिक रूप से बेदखली के आदेश पारित किए। जिसकी पालना में दिनांक 17.07. 2020 को तहसीलदार सोजत मय पुलिस जाब्ते के रूबरू मौतबिरान अपीलाण्ट को अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किया गया, तथा उक्त आराजी पर सरकारी सम्पति पटवार भवन हेतु आरक्षित भूमि का बोर्ड लगाया गया व भूमि कब्जे राज ली गई। इसके पश्चात हल्का पटवारी खोड़िया दिनांक 18.07.2020 को मौका निरीक्षण करने हेतु पुनः जैर अपील आराजी पर गया तो अतिक्रमी द्वारा पुनः कब्जा कर दिया, जो पत्रावली संलग्न मौका फर्द से स्पष्ट है, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.07.2020 को नायब तहसीलदार बगड़ी के समक्ष टी.पी. रिपोर्ट पेश की, जिस पर नायब तहसीलदार बगड़ी ने दिनांक 20.07.2020 को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्ररकण संख्या 52/2020 दर्ज कर, अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अपीलाण्ट पूरणसिंह मातहत अदालत में आगामी पेशी दिनांक 27.07.2020 को उपस्थित हुआ। जिसकी ताईद पत्रावली अवलोकन से होती है। इसके पश्चात नायब तहसीलदार बगड़ी ने दिनांक 27.07.2020 को जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के साथ पचास रूपये राशि जुर्माना का अधिरोपित करते हुए, अपीलाण्ट को आदतन अतिक्रमी मानते हुए तीन माह की सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट ने दिनांक 14.09.2020 को जैर अपील आराजी पर से भौतिक रूप से कब्जा हटा दिया है, जुर्माने की राशि भी जमा करा दी है एवं इस आशय का उसने नायब तहसीलदार के समक्ष एक शपथ पत्र भी पेश किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा सिविल कारावास की सजा से बचने के लिए जैर अपील आराजी से कब्जा हटाया गया है। इसके साथ ही अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किए जाने के बावजूद भी, वह जैर अपील आराजी पर बार–बार अतिक्रमण कारित कर रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट एक आदतन अतिचारी है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तीनों अपीलों के आदेशों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें सारहीन एवं बलहीन होने से अस्वीकार की जाती है। नायब तहसीलदार बगड़ी के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 821/2019 सरकार बनाम पूरणसिंह में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019, प्रकरण संख्या 02/2020 सरकार बनाम पूरणसिंह में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2020 एवं प्रकरण संख्या 52/2020 सरकार बनाम पूरणसिंह में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2020 को यथावत रखा जाता है। नायब तहसीलदार बगड़ी को निर्णय की प्रति उनकी तीनों मूल पत्रावलियां के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 16/03/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली